उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-8/2023/689/2023/8-3099/91/2019
लखनऊः दिनाँक: 06 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प्रदेश में ठोस परिवहन अवसंरचना के विकास, विद्यमान वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स ढांचे के उन्नयन, प्रभावी संस्थात्मक गवर्नेन्स की व्यवस्था, कार्य बल की कुशलता को बढ़ावा देने तथा स्मार्ट लाजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाजिस्टिक्स सुविधा की स्थापना हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 जारी की गयी है। नीति के अध्याय-9 के अन्तर्गत वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाईयों को प्रोत्साहन के रूप में विकास शुल्क में 75 प्रतिशत छूट प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

2- अतएव उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-53 में वर्णित छूट समबन्धी प्राविधान के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सुविधाओं/इकाईयों को प्रस्तर-3 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन विकास शुल्क की दर के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी जमा कराने पर (जो वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने पर अवमुक्त की जाएगी) विकास शुल्क में 75 प्रतिशत छूट प्रदान करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(क) न्यूनतम 01 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रू 20 करोड़ के पूंजी निवेश वाली वेयर हाउसिंग (गोदाम सहित),

(ख) न्यूनतम 04 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रू 30 करोड़ के पूंजी निवेश वाले साइलोज (Silos),

(ग) न्यूनतम 20000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रू 15 करोड़ के पूंजी निवेश वाली कोल्ड चेन फेसिलिटीज,

(घ) ड्राई प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत न्यूनतम 10 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रू 50 करोड़ के निवेश वाले इनलैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन्स/एयर फ्रेट स्टेशन्स,

(च) न्यूनतम 25 एकड़ क्षेत्रफल पर लॉजिस्टिक्स पार्क्स,

(छ) नेशनल हाईवे/एक्सप्रेसवे/स्टेट हाइवे/प्रामिनेन्ट फ्रेट रूट्स के दोनों ओर 02 किमी की दूरी तक न्यूनतम 10 एकड़ क्षेत्रफल के ट्रकर्स पार्क।

3- विकास शुल्क में उक्त छूट सम्बन्धित विभाग/नोडल संस्था द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट/ पंजीकृत/ अनुमोदन प्राप्त इकाईयों हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन देय होगीः-

3.1 इकाई का संचालन आगामी पाँच वर्षों तक किए जाने की बाध्यता होगी।

3.2 इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3.3 नीति के अधीन सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियाँ सम्बन्धित इकाईयों द्वारा स्वयं प्राप्त की जाएंगी और सम्बन्धित विभाग के निर्देशों/नीति का अनुपालन किया जाएगा। उक्त प्राविधान के उल्लंघन की दशा में सभी प्रोत्साहन एवं छूट निरस्त कर दिए जाएंगे।

3.4 इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या-8/2023/ 689(1)/2023/8-3099/91/2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना संख्या-689/2023/8-3099/91/2019 को दिनांक 06.04.2023 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित कराते हुए 5-5 प्रति समस्त संबंधित को तथा 100 प्रतियां आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या-8/2023/689(2)/2023/8-3099/91/2019-तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
5. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार सिंह
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।